प्रेषक,

सं0 एस0पी0 2077/42-38/एसपी/60/84

श्री राजकुमार भार्गव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

खेलकूद विभाग लखनऊ दिनाँक 12 सितम्बर,84

विषय:- उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों पर"जिला प्रोत्साहन समिति" के गठन और कार्यान्वयन के संबंध में ।

=-=-=-=-=

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने खेलकूद के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर एक" जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति" गठित किये जाने का निर्णय लिया है । इस समिति द्वारा जनपदों के खिलाड़ियों / क्रीड़ा क्लबों को आर्थिक सहायता तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान की जायेगी खेल के विकास के लिए क्रीड़ांगन / टूर्नामेंट हाल/ तरणताल का निर्माण कराया जायेगा और खेलकूद प्रतियोगितायें भी आयोजित कराई जायेगी ।

2- आपको जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति के गठन से संबंधित नियमावली की एक प्रति इस आशय से भेजी जा रही है कि आप इस नियमावली में निहित प्राविधानानुसार जिला मुख्यालय पर उक्त समिति का तत्काल गठन करायें और गठित समिति को रजिस्ट्रार सोसाइटीज से पंजीकृत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें । संलग्न नियमावली में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले पदाधिकारी की सूचना आपको अलग से यथाशीघ्र भेजी जायेगी । परन्तु इसमें समय लगने की संभावना है अनुरोध है कि आप पंजीकरण इत्यादि अविलम्ब करालें ताकि आगामी खेलकूद का उपयोग प्रतियोगितायें आदि आयोजित कराने में संभव हो ।

भवदीय

राजकुमार भार्गव
सचिव ।

संख्या-एस पी 2077/42-38/एसपी/60/84-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त विभागाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त मंडलों के आयुक्त,उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त जिला व सेशन जज,उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त कार्यालयों के प्रमुख,उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक,खेलकूद,उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से

(पंकज कुमार)
संयुक्त सचिव ।

जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति नियमावली, जिला पिथौरागढ़।

संक्षिप्त नाम 1– संक्षिप्त नाम :– यह नियमावली जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति नियमावली पिथौरागढ़ कही जायेगी।

परिभाषायें 2– परिभाषायें :– इस नियमावली में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) अध्यक्ष का तात्पर्य प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष से है।
(ख) प्रबन्ध समिति का तात्पर्य समिति की प्रबन्ध समिति से है।
(ग) राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से हैं।

सदस्यता 3– सदस्यता :– समिति में निम्नलिखित होंगे:–

(1) जिले का जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष और पदेन सदस्य होगा।
(2) जिला खेलकूद अधिकारी/जिला प्रशासन में प्रभारी खेलकूद अधिकारी पदेन सचिव एवं कोषाध्यक्ष और पदेन सदस्य होगा।
(3) उत्तर प्रदेश विधान सभा का एक स्थानीय सदस्य जिले राज्य सरकार खेलकूद विभाग द्वारा पदेन सदस्य के रुप में नाम निदिष्ट किया जायेगा।
(4) जिले के दो प्रमुख खिलाड़ी जिन्हें जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सदस्य के रुप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।
(5) जिले के दो खेलकूद संयोजक जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सदस्य के नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।
(6) ऐसे अन्य सदस्य जिनकी सदस्यता प्रबन्ध समिति द्वारा समय समय पर अनुमोदित किया जाय।

सदस्यता फीस 4– सदस्यता फीस:–पदेन सदस्य से भिन्न अन्य प्रत्येक सदस्य समिति को प्रति कलैण्डर वर्ष एक रूपये का नाम मात्र कर चंदा देंगे।

सदस्यता की समाप्ति 5 – सदस्यता की समाप्ति:– पदेन सदस्य से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी:–

(1) उसके द्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष को त्याग पत्र देने की लिखित सूचना भेजकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देने पर।
(2) लगातार दो वर्ष तक वार्षिक चंदे का भुगतान करने में उसके द्वारा चूक किये जाने पर और इस प्रकार चूक करने के लिये प्रबंध समिति द्वारा उसकी सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय लेने पर
(3) सदस्य की मृत्यु होने पर।
(4) प्रबंध समिति द्वारा किसी सदस्य को उसके समिति के हितों के विपरीत कार्य करने के लिये निष्कासित करने पर।

सदस्यता का कार्यकाल 6– सदस्यता का कार्यकाल:–

(1) समिति या प्रबंध समिति के सदस्य जो पदेन सदस्य से भिन्न हो दो वर्ष की अवधि के लिए पद घृत करने और दो वर्ष की अवधि के लिए पुनः नाम निर्दिष्ट किये जाने के पात्र होंगे।
(2) वहां समिति या प्रबंध समिति का कोई सदस्य उसके द्वारा घृत पद के आधार पर सदस्य हो, वहां उसकी सदस्यता उस पद पर न रहने पर समाप्त हो जायेगी और उस पद पर उसका उत्तराधिकारी ऐसा सदस्य हो जायेगा। नियम 303 के अधीन किसी सदस्य की स्थिति में सम्बद्ध व्यक्ति की सदस्यता विधानसभा का सदस्य न रहने पर समाप्त हो जायेगी और राज्य सरकार के खेलकूद विभाग द्वारा नया नाम निर्देशन किया जायेगा।
(3) राज्य सरकार आदेश द्वारा समिति या प्रबंध समिति के किसी ऐसे सदस्य के स्थान पर जो उसके द्वारा घृत पद के आधार पर सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति के रख सकती है जो तत्समय या तो उसके समकक्ष या उससे उच्च या निम्न कोटि का पद घृत कर रहा हो और इस प्रकार प्रतिस्थापित किये जाने पर प्रतिस्थापित सदस्य अवमुक्त सदस्य का स्थान ग्रहण करेगा।

सम्पत्ति का प्रबन्ध 7– सम्पत्ति का प्रबन्ध:– समिति की आय और सम्पत्ति दोनों जंगम और स्थावर और उसके कार्यकलाप का अधीक्षण नियंत्रण और प्रबन्धन प्रबन्ध समिति में निहित होगा जो समिति के उद्देश्यों को

JILA YOJANA GENERAL LETTER.doc

कर्तव्यों का पालन करेगी।

प्रबन्ध समिति 8– प्रबन्ध समितिः–

प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होंगेः–

(क) जिला मजिस्ट्रेट– पदैन अध्यक्ष

(ख) जिला खेलकूद अधिकारी और उनके न होने पर जिले का प्रभारी खेलकूद अधिकारी कोषाध्यक्ष एवं सचिव।

(ग) विधान सभा का एक स्थानीय सदस्य को समिति के सदस्य के रुप में नाम निर्दिष्ट किया जाय सदस्य

(घ) जिले के दो प्रमुख खिलाड़ी जो समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जायं– सदस्य

(ङ) जिले के दो खेलकूद संयोजक जो समिति के सदस्य के रूप मे नाम निर्दिष्ट किये जाय– सदस्य

9– रिक्ति से किसी कार्य का अविधिमान्य न होना

रिक्ति से किसी कार्य का अविधिमान्य न होना :–

प्रबन्ध समिति में कोई रिक्ति होने से उसके गठन किये जाने की विधि मान्यता पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा या प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसी रिक्ति के रहने में किया गया कोई कार्य अविधिमान्य नही होगा।

सामान्य निकाय की बैठक 10– सामान्य निकाय की बैठकः–

(1) समिति के सामान्य निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार यथासंभव फरवरी के महीने में बुलाई जायेगी जसमें पूर्ववर्ती वर्ष में किये गये कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा मोटे तौर पर चालू वर्ष के दौरान किये जाने वाले कार्य का अनुमोदन किया जायेगा पिछले वर्ष का लेखा अनुमोदित किया जायेगा और ऐसे निर्देश कोई दो दिये जाय जो प्रबन्ध समिति के मार्ग निर्देशन के लिये उचित समझे जाय।

(2) सचिव, अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से सामान्य निकाय की बैठक किसी भी समय जब ऐसी बैठक आवश्यक या वाछनीय समझी जाय बुला सकता हैं।

(3) सामान्य निकाय की बैठक के लिये दस दिन पहले नोटिस देना आवश्यक होगा।

(4) सामान्य निकाय की बैठक के लिये गणपूर्ति संख्या तत्समय समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी, परन्तु गणपूर्ति न होने से कोई बैठक स्थिगित किये जाने के फलस्वरूप आयोजित बैठक के लिये कोई गणपूर्ति अपेक्षित न होगी।

(5) अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा आपस में चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

प्रबन्ध समिति की बैठक 11– प्रबन्ध समिति की बैठकः–

(1) प्रबन्ध समिति की बैठक कम से कम वर्ष की प्रत्येक तिमाही में एक बार होगी, किन्तु सचिव अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदित से प्रबन्ध समिति की बैठक जब कभी यह आवश्यक या वांछनीय समझे तीन दिन पहले नोटिस देकर बुला सकता है।

(2) प्रबन्ध समिति की बैठक की गणपूर्ति संख्या तीन होगी किन्तु गणपूर्ति संख्या तीन होगी किन्तु गणपूर्ति न होने से कोई बैठक स्थिगित किये जाने के फलस्वरूप आयोजित बैठक के लिये कोई गणपूर्ति आवश्यक न होगी।

(3) प्रबन्ध समिति की बैठक में अध्यक्षता करने के लिये नियम 10 के खंड 5 के उपबन्ध लागू होंगे।

(4) प्रबन्ध समिति के सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे। प्रबन्ध समिति के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा किन्तु बराबर बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं।

(5) अध्यक्ष की सहमति से किसी प्रस्ताव को सदस्यों के बीच परिचालित करके प्रबन्ध समिति का निर्णय प्राप्त किया जा सकता है और इस

प्रकार प्रभावी और बाध्यकार मानों वह इस नियमावली के अधीन प्रबन्ध समिति की नियमित बैठक में पारित किया गया हो।

निधि 12— निधि:—

(1) सदस्यों से प्राप्त चंदा और सदस्यों, अन्य व्यक्तियों और सरकारी एसोसियेशन आदि से प्राप्त दान से समिति की निधि का गठन होगा और उसका उपयोग समिति की प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके अन्तर्गत जंगम और स्थावर सम्पत्ति का क्रय करना भी है।

(2) समिति की निधि को एक या अधिक अनुसूचित बैंको में एक या अधिक लेखों में रखा जायेगा और उसके ऐसे भाग को जिसकी तुरन्त आवश्यकता न हो, बैंक या डाकखाने में सावधि निक्षेप में विनियोजित किया जा सकता है।

सचिव की शक्ति और उसके कर्तव्य 13— सचिव की शक्ति और उसके कर्तव्य:—

(1) सचिव समिति का प्रधान कार्य द्वारा अधिकारी होगा और प्रबन्ध समिति के किसी सामान और विनिर्दिष्ट निर्देश के अधीन रहते हुये ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगा जो संमिति के लक्ष्य और उद्देश्य की सफलता के लिये आवश्यक या वांछनीय हो जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा प्रारम्भ की गई कोई विशेष योजना और पर व्यय करना भी है।

(2) प्रबन्ध समिति के पूर्ववर्ती और पाश्चातवर्ती अनुमोदन के अधीन रहते हुए सचिव को समिति की योजनाओ का निष्पादन करने या उसके लेखे रखने या लेखा परीक्षण करने के लिये अपेक्षित समिति के अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त करने और मजदूर रखने और उनकी मजदूरी का भुगतान करने की भी शक्ति होगी।

(3) सचिव किसी भी समय समिति के दिन प्रति दिन के कार्य को पूरा करने के लिये 200 रू0 तक की धनराशि अपने पास रख सकता हैं।

संविदा 14— संविदा:—

समिति के लिए और उसकी ओर से सभी संविदा और विलेख समिति के नाम से अभिव्यक्त किये जायेंगे और समिति की ओर से सचिव द्वारा निष्पादित किये जायेंगे।

वाद 15 वाद:—

समिति सचिव के माध्यम से वाद ला सकती है या उस पर वाद लाया जा सकता है।

सामान्य मुहर 16— सामान्य:—

समिति की ऐसे आकार और डिजाइन की एक सामान्य मोहर होगी जिसे प्रबन्ध समिति इस निमित अवधारित करें।

राज्य सरकार की शक्ति 17— **राज्य सरकार की शक्ति:—**

(1) राज्य सरकार समिति को राज्य की सुरक्षा या पर्याप्त लोकहित से संबंधित मामलों में अपनी शक्ति का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिये समय समय पर निर्देश दे सकती है और ऐसे अन्य निर्देश दे सकती है जिसे वह समिति की वित्त व्यवस्था और उसके कार्य संचालन और कार्यो के संबंध में आवश्यक और समीचीन समझे और इसी प्रकार किसे ऐसे निर्देश में परिवर्तन और उसे निष्प्रभाव कर सकती हैं। समिति राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार जारी किये गये निर्देश को तुरन्त कार्यान्वित करेगी।

(2) राज्य सरकार समिति की परिसम्पत्ति सम्पत्ति और उसके कार्यकलाप के संबंध में ऐसी शिवरशिया लेखों और अन्य सूचना मांग सकती है जो समय समय पर अपेक्षित हो और समिति उसे तुरन्त प्रस्तुत करेगी।

उपविधिया 18— उपविधिया:—

प्रबन्ध समिति ऐसे उपविधियां बना सकती है जो समिति के ज्ञापन और इस नियमावली से असंगत न हो। प्रबन्ध समिति किसी भी उपविधि को संशोधित परिवद्दित या परिवर्तित भी कर सकती है या उनमें से किसी उपबंध को निकाल सकती है।

नियमावली का संशोधन 19— नियमावली का संशोधन:—

इस नियमावली का संशोधन राज्य सरकार की लिखित पूर्वानुमति से सामान्य निकाय द्वारा इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक में किया जा सकता हैं। और ऐसी बैठक के लिए परिचालित कार्य सूची में प्रस्तावित संशोधन का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा।

JILA YOJANA GENERAL LETTER

जिला क्रीड़ाधिकारी एवं
सचिव/कोषाध्यक्ष जिला खेलकूद
समिति, सिद्धार्थनगर

समिति का ज्ञापन

1- समिति का नाम — जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति, पिथौरागढ़

2- समिति का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय — कलक्ट्रेट (पिथौरागढ़)

3- समिति के उद्देश्य जिसके लिये उसकी स्थापना की जाय, निम्नलिखित होंगे:-

(1) उत्तर प्रदेश में जिला पिथौरागढ़ के ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देना जिन्होंने राज्य, राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय खेलकूद के आयोजन में भाग लिया हो और यथोचित जीवन स्तर के अनुरूप अपना जीवन यापन करने की स्थिति में न हों।

2- जिले के ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिये यात्रा और अन्य यथोचित व्यय की व्यवस्था करना जिनका चयन इस देश में खेलकूद में प्रशिक्षण प्राप्त करने या राज्य या राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये किया जाय।

3- जिले के ऐसे खिलाड़ियों को जिनका चयन राज्य, राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने या इस देश में खेलकूद में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये किया जाय, खेलकूद का सामान क्रय करने के लिये वित्तीय सहायता देना।

4- जिले के ऐसे उदीयमान खिलाड़ियों को मासिक छात्र वेतन देना जो अपनी शिक्षा के सम्बन्ध में फीस और अन्य खर्चे की व्यवस्था करने में असमर्थ हों।

5- जिले के ऐसे खेलकूद क्लबों को अनुदान देना जो जिले में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करते हैं।

6- जिले के ऐसे खेलकूद क्लबों को अनुदान देना जो खेलकूद के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हों। जिससे वह खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।

7- जिले में स्टेडियम, खेल प्रतियोगिता के लिये हाल और तरणताल का निर्माण करके और [redacted] करके खेलकूद को बढ़ावा देना

8- जिले में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से खेल प्रतियोगितायें आयोजित करना।

9- ऐसे अन्य कार्य करना जो समिति के सभी या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

--2--

समिति की नियमावली की एक प्रति जिसे शासी निकाय के तीन सदस्यों ने शुद्ध प्रति प्रमाणित किया है समिति के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत की जाती है ।

हम कई व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे दिये गये हैं, इस ज्ञापन में वर्णित प्रयोजन से स्वयं संबद्ध होते हुये, एतदद्वारा इस ज्ञापन में अपने नाम लिखाते हैं और उस पर हम सभी अपने अपने हस्ताक्षर करते हैं और सोसइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 " अधिनियम संख्या 21, 1860 (के अधीन अपनी एक समिति का गठन करते हैं :-

दिनांक ,19

संख्या	सदस्य का नाम, पता और व्यवसाय	सदस्य के हस्ताक्षर	साक्षी के नाम, पता और व्यवसाय	साक्षी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1-	V. Paul, D.M. Pithoragarh, Govt. Service	[signature]		
2-	Ramesh Chandra Pande, Advocate, Ghantakaran, Pithoragarh	[signature]	Prakash Mittal, SDM Pithoragarh, Govt Service	[signature]
3-	Permanand Pong (Retired), Ghantakaran, Pithoragarh	[signature]		
4-	[illegible] contractor, Dharamshala Line, Pithoragarh	[signature]		
5-	[illegible] Advocate, Maldar [illegible], Pithoragarh	[signature]		
6-	[illegible] Doctor, Tildukani, Pithoragarh	[signature]		
7-	[illegible] Doctor, Cinema Line, Pithoragarh	[signature]		
8-	[illegible] Retd. Sub. Major, Vill. Saing, Pithoragarh	[signature]		
9-	जितेन्द्र सिंह, कोषा॰ अधि॰ पिथौरागढ (राजकीय सेवा)	[signature]		
10-	एम. एस. मेहरा, को॰ आ॰ [illegible], जिला खेल समिति पिथौरागढ़	[signature]		

जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति नियमावली
जिला - पिथौरागढ़

समिति का नाम

1- समिति का नाम:-

यह नियमावली ~~जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति~~ नियमावली पिथौरागढ़ कही जायेगी ।

परिभाषायें

2- परिभाषायें:-

इस नियमावली में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अध्यक्ष" का तात्पर्य प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष से है।

(ख) "प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य समिति की प्रबन्ध समिति से है ।

(ग) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

सदस्यता

3- सदस्यता:-

समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(1) जिले का जिला ~~[illegible]~~ मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष और पदेन सदस्य होगा ।

(2) जिला खेलकूद अधिकारी/जिला प्रशासन में प्रभारी खेलकूद अधिकारी पदेन सदस्य एवं कोषाध्यक्ष, और पदेन सदस्य होगा ।

(3) उत्तर प्रदेश विधान सभा का एक स्थानीय सदस्य, जिसे राज्य सरकार खेलकूद विभाग द्वारा पदेन सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा

(4) जिले के दो प्रमुख खिलाड़ी जिन्हें [redacted] निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(5) जिले के दो खेलकूद सेवक जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सदस्य के नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(6) ऐसे अन्य सदस्य जिनकी सदस्यता प्रबन्ध समिति ~~[illegible]~~ पर अनुमोदित किया जाय ।

सदस्यता फीस

4- सदस्यता फीस

पदेन सदस्य से भिन्न अन्य प्रत्येक सदस्य समिति के प्रति कलेण्डर वर्ष एक [illegible] नाम मात्र का [illegible] देंगे ।

सदस्यता का पर्यवसान

5- सदस्यता का पर्यवसान:-

पदेन सदस्य से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की सदस्यता [redacted] हो जायेगी:-

(1) उसके द्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष को त्याग पत्र देने की लिखित सूचना भेजकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देने पर।

(2) लगातार दो वर्ष तक वार्षिक चंदे का भुगतान करने में उसके द्वारा चूक किये जाने पर और इस प्रकार चूक करने के लिये प्रबंध समिति द्वारा उसकी सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय लेने पर

(3) सदस्य की मृत्यु होने पर।

(4) प्रबन्ध समिति द्वारा किसी सदस्य को जो समिति के हितों के विपरीत कार्य करने [illegible] निष्कासित करने पर।

सदस्यता का कार्यकाल

6 सदस्यता का कार्यकाल:-

(1) समिति या प्रबंध समिति के सदस्य जो [redacted] हों दो वर्ष की अवधि के लिये पद धृत करेंगे और दो वर्ष की एक और अवधि के लिये पुनः नाम निर्दिष्ट किये जाने के पात्र होंगे।

(2) जहाँ समिति या प्रबंध समिति का कोई सदस्य उसके द्वारा धृत पद के आधार पर सदस्य हो, वहाँ उसकी सदस्यता उस पद पर न रहने पर समाप्त हो जायेगी और उस पद पर उसका उत्तराधिकारी ऐसा सदस्य हो जायेगा। नियम 303 के अधीन किसी सदस्य की स्थिति में सम्बद्ध व्यक्ति की सदस्यता विधान सभा का सदस्य न रहने पर समाप्त हो जायेगी और राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग द्वारा नया नाम निर्देशन किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार, आदेश द्वारा समिति या प्रबंध समिति के किसी ऐसे सदस्य के स्थान पर, जो उसके द्वारा धृत पद के आधार पर सदस्य, किसी ऐसे व्यक्ति को रख सकती है जो तत्समय या तो उसके समकक्ष या उसके उच्च या निम्न कोटि का पद धृत कर रहा हो और इस प्रकार प्रतिस्थापित किये जाने पर प्रतिस्थापित सदस्य उपयुक्त सदस्य का स्थान ग्रहण करेगा"।

सम्पत्ति का प्रबन्ध

7- सम्पत्ति का प्रबन्ध:-

समिति की आय और सम्पत्ति दोनों जंगम और स्थावर और उसके कार्यकलाप का अधीक्षण, [redacted] नियंत्रण और प्रबन्ध, प्रबन्ध समिति में निहित होगा जो समिति के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का पालन करेगी ।

प्रबन्ध समिति

8- प्रबन्ध समिति:-

प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(क) जिला मजिस्ट्रेट - पदेन अध्यक्ष

(ख) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और उसके न होने पर जिले का प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी - ओशाध्यक्ष एवं सचिव ।

(ग) विधान सभा का एक स्थानीय सदस्य जो समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाय सदस्य

(घ) जिले के दो प्रमुख शिक्षाविद् जो समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जायें- सदस्य

(ङ) जिले के दो प्रबुद्ध जो सरकार से संबंधित हो समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जाय - सदस्य

रिक्ति से किसी कार्य का अविधिमान्य न होना

9- रिक्ति से किसी कार्य का अविधिमान्य न होना:-

प्रबन्ध समिति में कोई रिक्ति होने से उसके गठन किये जाने की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसी रिक्ति के रहने में किया गया कोई कार्य अविधिमान्य नहीं होगा ।

सामान्य निकाय की बैठक

10- सामान्य निकाय की बैठक:-

(1) समिति के सामान्य निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार [redacted] बुलाई जायेगी जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष में किये गये कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा मोटे तौर पर चालू वर्ष के दौरान किये जाने वाले कार्य का अनुमोदन किया जायेगा, पिछले वर्ष का लेखा अनुमोदन किया जायेगा और ऐसे निर्देश यदि [redacted] कोई हो, दिये जांय जो [redacted] के लिये उचित समझे जांय ।

(2) [redacted]

[illegible] अनापूर्ति [illegible] सदस्यों [illegible] होगा, किन्तु अनापूर्ति न होने से कोई बैठक [illegible] अनापूर्ति [illegible] न होगा।

[illegible] सभापति और उनका अनुपस्थिति में, [illegible] सदस्यों [illegible] चुना गया [illegible] होगा।

[illegible] प्रबन्ध समिति की बैठक:-

(1) प्रबन्ध समिति की बैठक [redacted], किन्तु [illegible] प्रबन्ध समिति की बैठक [illegible] [redacted] [illegible] है।

(2) प्रबन्ध समिति की बैठक की अनापूर्ति [illegible] होगी किन्तु अनापूर्ति न होने से कोई बैठक [illegible] अनापूर्ति [illegible] न होगा।

(3) प्रबन्ध समिति की बैठक में [illegible] नियम 11 [illegible] लागू होंगे।

(4) प्रबन्ध समिति के [illegible] प्रबन्ध समिति के [illegible] बराबर-बराबर [illegible] है।

(5) [illegible] सदस्यों के बीच [illegible] प्रबन्ध समिति का निर्णय [illegible] और [illegible] उसी प्रकार [illegible] के अधीन प्रबन्ध समिति [illegible] बैठक में [illegible] किया गया हो।

[illegible] 17- [illegible]:-

[illegible] सदस्यों के [illegible] सदस्यों, [illegible] चल और स्थावर सम्पत्ति [illegible] है।

(2) [illegible] द्वारा [illegible]

प्रबन्ध समिति

सचिव की शक्तियां और उसके कर्तव्य

13- सचिव की शक्ति और उसके कर्तव्य:-

(1) सचिव समिति का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रबन्ध समिति के किसी सामान्य और विशेष निर्देश के अधीन रहते हुये ऐसा शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगा जो समिति के लक्ष्य और उद्देश्य की सफलता के लिये आवश्यक या समिति की किसी अन्तर्गत उसके द्वारा आरम्भ की गई कोई विशेष योजना और उस पर व्यय करना भी है।

(2) प्रबन्ध समिति के पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती अनुमोदन के अधीन रहते हुये सचिव को समिति का कोष का विनियोजन करने या उसे जमा रखने या ऐसा विनियोजन करने के लिये अपेक्षित समिति के कर्मचारियों और सेवकों को नियुक्त करने और मजदूर रखने और उनकी मजदूरी का भुगतान करने का भी शक्ति होगी।

(3) सचिव किसी भी समय समिति के दिन-प्रतिदिन के कार्य को पूरा करने के लिये 200 रु0 तक का धनराशि अपने पास रख सकता है।

संविदा

14- संविदा:-

समिति के लिये और उसकी ओर से सभी संविदा और विलेख समिति के नाम से अभिव्यक्त किये जायेंगे और समिति की ओर से सचिव द्वारा निष्पादित किये जायेंगे।

वाद

15- वाद:-

समिति सचिव के माध्यम से वाद ला सकती है या उस पर वाद लाया जा सकता है।

सामान्य मुहर

16- सामान्य मुहर:-

समिति की ऐसे आकार और डिजाइन की एक सामान्य मोहर होगी जिसे प्रबन्ध समिति इस निमित्त अवधारित करें

राज्य सरकार की शक्ति

17- राज्य सरकार की शक्ति:-

राज्य सरकार समिति को राज्य की सुरक्षा या पर्याप्त लोकहित से संबंधित मामलों में उसकी शक्ति का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिये समय समय पर निर्देश दे सकती है

हरि सिंह
सदस्य
प्रबन्ध समिति

समिति राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार जारी किये गये निर्देश को तुरन्त कार्यान्वित करेगी।
(2) राज्य सरकार समिति की परिसम्पत्ति, सम्पत्ति और उसके कार्यकलाप के संबंध में ऐसी विवरणियां, लेखों और अन्य सूचना मांग सकती है जो समय-समय पर अपेक्षित हो और समिति उसे तुरन्त प्रस्तुत करेगी।

उपविधियां

18- उपविधियां:-

प्रबन्ध समिति ऐसे उपविधियां बना सकती है जो समिति के शासन और इस ~~नियमावली से असंगत~~ न हो। प्रबन्ध समिति किसी भी उपविधि को संशोधित, परिवर्धित या परिवर्तित भी कर सकती है या उसमें से किसी उपबंध को निकाल सकती है।

नियमावली का संशोधन

19- नियमावली का संशोधन:-

इस नियमावली का संशोधन ~~राज्य सरकार की लिखित पूर्वानुमति से~~ सामान्य ~~निकाय~~ द्वारा इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक में किया जा सकता है और ऐसी बैठक के लिए परिचालित कार्य सूची में प्रस्तावित संशोधन का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा।

हम समिति के शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि यह समिति की नियमावली की सत्य प्रतिलिपि है:-

1- [illegible]
2- Ramesh Chandra Pande, Ghantakaran, Pukhrayan
3- Premanand Brij, Ghantakaran, Pukhrayan
4- जगदीश प्रसाद [illegible], Dharamshala Line, Pukhrayan
5- रवीन्द्र सिंह [illegible], Maldar, Pukhrayan
6- ओमप्रकाश [illegible], Tildakaran, Pukhrayan
7- [illegible] सिंह, Cinema Line, Pukhrayan
8- हरिशंकर [illegible], Vill. [illegible], Pukhrayan
9- जितेन्द्र सिंह [illegible], पिखरायां

जिलाधिकारी
21 MAY 1997
देहरादून

संख्या- 1082/बयालिस-97/38/सामा/60/84

प्रेषक,

के०के०बाजपेयी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खेलकूद अनुभाग   लखनऊ : दिनांक : 8 मई, 1997

विषय:- जनपद स्तर पर गठित जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति में एक स्थानीय विधायक का नामांकन।

xx xx xx

महोदय,

शासनादेश संख्या-एसपी/2077/42-38/एसपी/60/84, दिनांक, 12.9.84 के अधीन प्रत्येक जनपद में जिला खेलकूद एवं प्रोत्साहन समिति गठित है, जिसमें एक सदस्य स्थानीय विधायक भी होता है।

2- अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला खेलकूद एवम् प्रोत्साहन समिति में नामित किये जाने हेतु एक स्थानीय विधायक के नाम का प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के०के०बाजपेयी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

श्री राजकुमार भार्गव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सं० एस०पी० 2077/42-38/एस पी/60/84

5429 जिला क्रीड़ा अधि०
सूचना आवश्यक कार्यवाही करें।
जिलाधिकारी
25/9/84

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

25 SEP 1984
देहरादून

खेलकूद विभाग   लखनऊ   दिनांक 12 सितम्बर, 84

विषय:- उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों पर "जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति" के गठन और कार्यान्वयन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने खेलकूद के सर्वांगीण विकास के लिये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर एक "जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति" गठित किये जाने का निर्णय लिया है । इस समिति द्वारा जनपदों के खिलाड़ियों/क्रीड़ा क्लबों को आर्थिक सहायता तथा अन्य सुविधायें प्रदान की जायेंगी । खेल के विकास के लिये क्रीड़ांगन/टूर्नामेंट हाल/तरणताल का निर्माण कराया जायेगा और खेलकूद प्रतियोगितायें भी आयोजित कराई जायेंगी ।

2- आपको जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति के गठन से संबंधित नियमावली की एक प्रति इस आशय से भेजी जा रही है कि आप इस नियमावली में निहित प्राविधानानुसार जिला मुख्यालय पर उक्त समिति का तत्काल गठन करायें और गठित समिति को रजिस्ट्रार सोसाइटीज से पंजीकृत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें । संलग्न नियमावली में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले पदाधिकारी की सूचना आपको अलग से यथाशीघ्र भेजी जायेगी । परन्तु इसमें समय लगने की संभावना है अनुरोध है कि आप पंजीकरण इत्यादि अविलम्ब करा लें ताकि आगामी खेलकूद   का उपयोग प्रतियोगितायें आदि आयोजित करने में संभव हो ।

भवदीय

राजकुमार भार्गव,
सचिव ।

संख्या- एस पी 2077/42-38/एस पी /60/84-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

॥1॥ समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

॥2॥ समस्त मंडलों के आयुक्त, उत्तर प्रदेश

॥3॥ समस्त जिला व सेशन जज, उत्तर प्रदेश ।

॥4॥ समस्त कार्यालयों के प्रमुख उत्तर प्रदेश ।

॥5॥ निदेशक, कोलकद, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

॥ पंकज कुमार ॥
संयुक्त सचिव ।

17/9/84

जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति नियमावली

जिला-------------------------

1- संक्षिप्त नाम:- यह नियमावली जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति नियमावली जिला------------------- कही जायेगी ।

2- परिभाषायें:- इस नियमावली जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) अध्यक्ष का तात्पर्य प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष से है

(ख) प्रबन्ध समिति का तात्पर्य समिति की प्रबन्ध समिति से है।

(ग) राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

3- सदस्यता:- समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(1) जिले का जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष और पदेन सदस्य होगा।

(2) जिला खेलकूद अधिकारी/जिला प्रशासन से प्रभारी खेलकूद अधिकारी पदेन सचिव एवं कोषाध्यक्ष और पदेन सदस्य होगा।

(3) उत्तर प्रदेश विधान सभा का एक स्थानीय सदस्य जिसे राज्य सरकार के खेलकूद विभाग द्वारा पदेन सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(4) जिले के दो प्रमुख खिलाड़ी जिन्हें जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(5) जिले के दो खेलकूद संयोजक जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) ऐसे अन्य सदस्य जिनकी सदस्यता प्रबन्ध समिति द्वारा समय-समय पर अनुमादित की जाये।

4-सदस्यता फीस:- पदेन सदस्य से भिन्न अन्य प्रत्येक सदस्य समिति को प्रति कलेन्डर वर्ष एक रूपये का नाम मात्र का चन्दा देगा।

5-सदस्य की समाप्ति:- पदेन सदस्य से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी।

(1) उसके द्वारा प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष को त्यागपत्र देने की लिखित सूचना भेजकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देने पर

(2) लगातार दो वर्ष तक वार्षिक चन्दे का भुगतान करने में उसके द्वारा चूक किये जाने पर और इस प्रकार चूक करने के लिये प्रबन्ध समिति द्वारा उसकी सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय लेने पर

(3) सदस्य की मृत्यु होने पर

(4) प्रबन्ध समिति द्वारा किसी सदस्य को उसके समिति के हितों के विपरीत कार्य करने के लिये निष्कासित करने पर ।

6-सदस्य का कार्यकाल:- (1) समिति या प्रबन्ध समिति के सदस्य जो पदेन सदस्य से भिन्न हो दो वर्ष की अवधि के लिये पदधृत करेंगे और दो वर्ष की एक और अवधि के लिये पुन: नाम निर्दिष्ट किये जाने के पात्र होंगे

(2) जहाँ समिति या प्रबन्ध समिति का कोई सदस्य उसके द्वारा धृत पद के आधार पर सदस्य हो, वहाँ उसकी सदस्यता उस पद पर न रहने पर समाप्त हो जायेगी। और उस पद पर उसका उत्तराधिकारी ऐसा सदस्य हो जायेगा। नियम 3(3) के अधीन किसी सदस्य की स्थिति में सम्बद्ध व्यक्ति की सदस्यता विधान सभा का सदस्य न रहने पर समाप्त हो जायेगी। और राज्य सरकार के खेलकूद विभाग द्वारा नया नाम निर्देश किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार आदेश द्वारा समिति या प्रबन्ध समिति के किसी ऐसे सदस्य के स्थान पर जो उसके द्वारा धृत पद के आधार पर सदस्य हो, कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति को रख सकती है जो तत्समय

या तो उसके समकक्ष या उससे उच्च या निम्न कोटि का पदधृत कर रहा हो, और इस प्रकार प्रतिस्थापन किये जाने पर प्रतिस्थापित सदस्य अवमुक्त सदस्य का स्थान ग्रहण करेगा।

(7) सम्पत्ति का प्रबन्ध:- समिति की आय और सम्पत्ति दोनों जंगम और स्थावर और उसके कार्यकलाप का अधीक्षण नियन्त्रण और प्रबन्ध, प्रबन्ध समिति में निहित होगा। जो समिति के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का पालन करेगी।

8-प्रबन्ध समिति:- प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(क) जिला मजिस्ट्रेट-पदेन अध्यक्ष

(ख) जिला खेलकूद अधिकारी और उसके न होने पर जिले का प्रभारी खेलकूद अधिकारी कोषाध्यक्ष एवं सचिव

(ग) विधान सभा का एक स्थानीय सदस्य जो समिति के सदस्य के रूप नामनिर्दिष्ट किया जाये-सदस्य

(घ) जिले के दो प्रमुख खिलाड़ी जो समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जाये-सदस्य

(ङ) जिले के दो खेलकूद संयोजक जो समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जायें-सदस्य

9-रिक्ति से किसी कार्य का अविधिमान्य न होना। प्रबन्ध समिति में कोई रिक्ति होने से उसके गठन किये जाने की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसी रिक्ति के रहने से किया गया कोई कार्य अविधिमान्य नहीं होगा।

10-सामान्य निकाय की बैठक:-

(1) समिति के सामान्य निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार यथा सम्भव फरवरी के महीने में बुलाई जायेगी जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष में किये गये कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा मोटे तौर पर चालू वर्ष के दौरान किये जाने वाले कार्य का अनुमोदन किया जायेगा। पिछले वर्ष का लेखा अनुमोदित किया जायेगा और ऐसे निर्देश यदि कोई हो दिये जायेंगे जो प्रबन्ध समिति के मार्ग निर्देशन के लिये उचित समझे जायें।

(2) सचिव, अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से सामान्य निकाय की बैठक किसी भी समय जब ऐसी बैठक आवश्यक या वांछनीय समझी जाये बुला सकता है।

(3) सामान्य निकाय की बैठक के लिये गणपूर्ति संख्या तत्समय समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी, परन्तु गणपूर्ति न होने से कोई बैठक स्थगित किये जाने के फलस्वरूप आयोजित बैठक के लिये कोई गणपूर्ति अपेक्षित न होगी।

(4) सामान्य निकाय की बैठक के लिये दस दिन पहले नोटिस देना आवश्यक होगा।

(5) अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा आपस में से चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

11-प्रबन्ध समिति की बैठक:-

(1) प्रबन्ध समिति की बैठक कम से कम वर्ष की प्रत्येक तिमाही में एक बार होगी, किन्तु सचिव अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन में से प्रबन्ध समिति की बैठक जब कभी वह आवश्यक या वांछनीय समझे 3 दिन पहले नोटिस देकर बुला सकता है।

(2) प्रबन्ध समिति की बैठक की गणपूर्ति संख्या 3 होगी। किन्तु गणपूर्ति न होने से कोई बैठक स्थगित किये जाने के फलस्वरूप

आयोजित बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक न होगी

§3§ प्रबन्ध समिति की बैठक में अध्यक्षता करने के लिये नियम 10 के खण्ड 5 के उपबन्ध लागू होंगे।

§4§ प्रबन्ध समिति के सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे। प्रबन्धसमिति के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। किन्तु बराबर-बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करसकते है।

§5§ अध्यक्ष की सहमति से किसी प्रस्ताव को सदस्यों के बीच परिचालित करके प्रबन्ध समिति का निर्णय समाप्त किया जा सकता है। और इसप्रकार परिचालित और अधिकांश सदस्यों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव उसी प्रकार प्रभावर और बाध्यका होंगे मानों वह इस नियमावली के अधीन प्रबन्ध समिति की नियमित बैठक में पारित किया गया हो।

12-निधि:- §1§ सदस्यों से प्राप्त चन्दा और सदस्यों अन्य व्यक्तियों और सरकारी एसोसियेशन आदि से प्राप्त दान से समिति की निधि का गठन होगा। और उसका उपयोग समिति के प्रयोजन के लिये किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत जंगम और स्थावर सम्पत्ति का का क्रय करना भी है

§2§ समिति की निधी एक या अधिक अनुसूचित बैंकों में एक या अधिक लेखों में रखा जायेगा। और उसके ऐसे भाग को जिसकी तुरन्त आवश्यकता ना हो बैंक या डाकखाने में सावधि निक्षेप में विनियोजित किया जा सकता है।

13-सचिव की शक्ति और कर्तव्य:- §1§ सचिव समिति का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रबन्ध समिति के किसी सामान्य और विशेष विनिर्दिष्ट निर्देश के अधीन रहते हुए ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगा जो समिति के लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक या वांछनीय हो जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा प्रारम्भ की गई कोई विशेष योजना और उस पर व्यय करना भी है।

§2§ प्रबन्ध समिति के पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती अनुमोदन के अधीन रहते हुए सचिव को समिति की योजनाओं का निष्पादन करने या लेखा परीक्षण या लेखा रखने के लिये अपेक्षित समिति के अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त करने और मजदूर रखने और उनकी मजदूरी का भुगतान करने की भी शक्ति होगी।

§3§ सचिव किसी भी समय समिति के दिन प्रतिदिन के खर्च को पूरा करने के लिये 200/= तक की धनराशि अपने पास रख सकता है।

14-संविदा:- समिति के लिये और उसकी ओर से सभी संविदा और विलेख समिति के नाम से अभिव्यक्त किये जायेंगे। और समिति की ओर से सचिव द्वारा निष्पादित किये जायेंगे।

15-वाद:- समिति सचिव के माध्यम से वाद ला सकती है या उस पर वाद लाया जा सकता है।

16- सामान्य मुहर:- समिति की ऐसे आकार और डिजाइन की एक सामान्य मुहर होगी जिसे प्रबन्ध समिति इस निमित्त अवधारित करें।

17- राज्य सरकार की शक्ति:- राज्य सरकार समिति को राज्य की सुरक्षा या पर्याप्त लोकहित से संबंधित मामलों में अपनी शक्ति का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिये समय-समय पर निर्देश दे सकती है और अन्य निर्देश दे सकती है जिसे वह समिति की वित्त व्यवस्था और उसके कार्य संचालन और कार्यों के संबंध में आवश्यक और समीचीन समझे और इसी प्रकार किसी ऐसे निर्देश में परिवर्तन और उसे निष्प्रभाव कर सकती है। समिति राज्य सरकार द्वारा

(4)

प्रबन्ध इस प्रकार जारी किये गये निर्देश को तुरन्त कार्यान्वित करेगी।

(2) राज्य सरकार समिति की परिसम्पत्ति, सम्पत्ति और उसके कार्यकलाप के संबंध में ऐसी विवरणियाँ लेखों और अन्य सूचना मांग सकती है जो समय-समय पर अपेक्षित हो और समिति उसे तुरन्त प्रस्तुत करेगी।

18-उपविधियाँ:- प्रबन्ध समिति ऐसी उपविधियाँ बना सकती है जो समिति के ज्ञापन और इस नियमावली से असंगत न हो। प्रबन्ध समिति किसी भी उपविधि को संशोधित परिवर्धित या परिवर्तित भी कर सकती है या उनमें से किसी उपबन्ध को निकाल सकती है।

19-नियमावली का संशोधन:- इस नियमावली का संशोधन राज्य सरकार की लिखित पूर्वानुमति से सामान्य निकाय द्वारा इस प्रयोजन के लिये बुलाई गई बैठक में किया जा सकता है और ऐसी बैठक के लिये परिचालित कार्य सूची में प्रस्तावित संशोधन का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा।

इस समिति के शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य एतद्द्वारा प्रमाणित करते है कि यह समिति की नियमावली की सत्य प्रतिलिपि है:-

---

सदस्य का नाम और पता	सदस्य के हस्ताक्षर
1- श्री चन्द्र बिहारी त्रिपाठी, क्षेत्रीय खादी अधिकारी, मेरठ।	[signature]
2- श्री विक्रम सिंह त्यागी, सचिव, जिला केन्द्रीय संघ, मेरठ।	[signature]
3- श्री ~~मनोहरचन्द्र जैन~~ ~~[illegible]~~ अरूप जैन, इलेक्ट्रा इंडिया प्राइवेट लि0, मेरठ।	[signature]
4-श्री अशोक मिश्रा, संयुक्त सचिव, उ0प्र0एक्सोटिका,	[signature]

दिनांक 1984

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

1. Name of the Society - ZILA KHELKUD PROTSAHAN SAMITI

(Name of the District). D. Dun. . . .

2. Registered Office of the Society . . D. Dun . . . .
(Name of the District)

3. The objects for which the Society is established are:..

(1) To give financial assistance to such outstanding Sportsmen of the District of . . D. Dun . . . . in Uttar Pradesh (hereinafter called' the District') as have participated in State, National and International Sports meets and are not in a position to earn their livelihood to a reasonable standard of living.

(2) To provide trevelling and other reasonable expenses to such promising sportsmen of the District as are selected, for training in sports in this country to participate in the State or National Sports meets.

(3) To assist monetarily in purchase of sports material by such sportsmen of the District as are selected, to take part in State, National and International Sports meets or for training in sports in this country.

(4) To give monthly stipends to such promising sportsmen of the District as are unable to afford fees and other expenses on their education.

(5) To give grants to such sports clubs of the District as organise sports tournaments in the District.

(6) To give grants to such Sports clubs of the District as are doing verywell in the field of, sports to enable their participation in the sports tournaments is concerned.

(7) To promote sports in the District by constructing Stadium, Tournament halls and swimming pools and by providing other sports facilities.

. . . .2/-

RULES OF THE ZILA KHELKUD PROTSAHAN SAMITI.....District.

1. Short Title These Rules may be called the Rules of the ZILA Khelkud Protsahan Samiti .D.Dun...District.

2. In these Rules unless the context otherwise requires:-

(a) 'Chairman' means the Chairman of the Managing Committee.

(b) 'Managing Committee' means the Managing Committee of the Samiti.

(c) 'State Government' means the Government of the Uttar Pradesh.

3. Membership: The Samiti shall consist of the following:-

(1) The District Magistrate of the District as Chairman and ex-officio member;

(2) The District Sports Officer/Officer Incharge sport in District administration as ex-officio Secretary-cum-Treasurer and ex-officio member;

(3) One Local Member of the U.P.Legislative Assembly to be nominated by the Depratment of Sports of the State Government as ex-officio member.

(4) Two Prominent Sportsmen of the District to be nominated by the District Magistrate of the District as members;

(5) Two Sports organisers of the District to be nominated by the District Magistrate of the District as members.

(6) Such other members as the Managing Committee may approve to be admitted to the membership from time to time.

4. Membership Fee-Every Member other than an ex-officio member shall pay to the Samiti a nominal subscription of Rs. 1/- every Calender year.

5. Termination of Membership:- The Membership of a person other than an ex-officio member shall terminate :-

(1) Upon his resgining his membership by sending a written

communication to that effect to the Chairman of the Managing Committee,

(2) Upon his making default in payment of annual subscription for two consecutive years and upon the managing committee XXXXX taking a decision to terminate his membership for such default;

(3) Upon the death of the Member;

(4) Upon the Managing Committee resolving to expel a member for acting against the interests of the Samiti.

6. Term of Members:-

(1) The nominated Members of the Samiti or the Managing Committee, other than ex-officio Members shall hold office for a period of two years and shall be eligible for re-nomination for another term of two years.

(2) Where a member of the Samiti or of the Managing Committee is member by virtue of the Office he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that Office and the successor to that office shall become such member. In the case of a member under rules 3(3) the membership will cease upon the person concerned ceasing to be member of the Legislative Assembly and fresh nomination will be made by the Department of Sports of the State Government.

(3) The State Government may by order substitute any member of the Samiti or of the Managing Committee, who is a member by vitrue of the Office he holds, by any person for the time being holding office whether equal or higher or lower in rank and upon such substitution the substituted member shall take the place of the relieved member.

7. Management of Property. The suprintendence, control and management of the income and property of the society both movable

. . . .4/-

and immovable and of its shall vest in the Managing Committee, which shall exercise all powers and perform all duties for carrying out the objects of the Samiti.

8. Managing Committee:- The Managing committee shall consist of :-

(a) The District Magistrate-Ex-Officio Chairman.

(b) The District Sports Officer and in his absence Officer-Incharge sports of District .D.D.W. . .Treasurer-cum-Secretary.

(c) The Local Member of the Legislative Assembly nominated as the member of the Samiti-member.

(d) The two Prominant Sportsmen of the District nominated as members of the Samiti-Members.

(e) The Two sports Organisers of the District nominated as members of the Samiti-Members.

9. Vacancy not to invalidate action:- The existence of any vacancy in the Managing Committee shall not effect the validity of its constitution invalidate any action taken by the Managing committee during the existence of such vacancy.

10. Meeting of the General Body:-

(1) A meeting of the General body of the Samiti shall be called atleast once in a year as far as possible in the month of February, to transact the business of taking stock of the work done during the preceeding year, approving in abroad way, the work to be done in the current year, approving the accounts of the prodeding year, and giving such directions, if any, as it may deem fit for the guidance of the Managing Committee.

(2) The Secretary, with prior approval of Chairman may call a meeting of the general body at any time if such a meeting is found necessary or desirable.

. . . . . 5/-

(3) Ten days prior notice shall be necessary for a meeting of the General body.

(4) The quorum at the meeting of the General Body shall be one third of the total number of members for the time being of the Samiti, provided that no quorum will be required at a meeting held upon adjournment of a meeting for want of quorum.

(5) The Chairman, and in his absence, the member chose by the members present at the meeting, from amongst themselves shall preside the meeting.

11. Meeting of the Managing Committee:-

(1) The Managing committee shall meet at least once in every quarter of the year but the secretary with previous approval of the Chairmen may call a meeting of the Managing Committee whenever he finds it necessary or desirable, by three days previous notice.

(2) The quorum for a meeting of the Managing Committee shall be three but no quorum will be necessary for a meeting held upon adjournment of meeting for want of quorum.

(3) For presiding at a meeting of managing committee provision of clause (5) of Rule 10 shall apply.

(4) All decisions of the Managing Committee shall be taken by majority of the votes. Each member of the Managing Committee shall have one vote but the Chairmen may excercise a casting vote in case of a tie.

(5) The decision of the Managing Committee may, with the consent of the Chairmen, also be obtained by circulating the proposal to the members and any proposal so circulated and approved by a majority of the members shall be as effectual and binding as if it had been passed at a regular meeting of the Managing Committee under these rules.

12. Funds:-

(1) The subscriptions recieved from the members and donations

. . . .6/-

recieved from members and other individuals, Government associations, etc. shall constitute the funds of the Samiti and shall be utilised for the porposes of the Samiti including purchase of movable and immovable property.

(2) The funds of the Samiti shall be kept in one or more accounts with one or more of the seduled Banks and such protion thereof as may not be needed immediately may be invested in fixed deposits with Bank or in Post Office.

13. Powers and Duties of the Secretary:-

(1) The Secretary shall be the principal executive office of the Samiti and subject to any general or special directions of the Managing Committee, shall exercise all powers and perform all functions and duties, as may be necessary or desirable, for furthering the aims and objects of the Samiti including any special scheme, undertaken by it and to incur expenditure thereon.

(2) Subject to prior or Subsquent approval of the Managing Committee. The Secretary shall have the power to make appointments of Officers and servants of the Samiti required for executing its schemes or maintaining or Auditing its accounts and also to engage labourers and to pay their wages.

(3) The Secretary may keep with himself cash at any time upto 200/- for meeting the day to day expenses of the Samiti.

14. CONTRACTS:-

All contracts and deeds for and on behalf of the Samiti shall be expressed in the name of the Samiti and shall be executed by the Secretary on behalf of the Samiti.

15. Suits:- The Samiti may sue or be sued through the Secretary.

16. Common seal:- The Samiti shall have a common seal of such make and design as the Managing Committee shall determine in this behalf.

. . . . . .7/-

17. Power of State Government:-

(1) The State Government may from time to time issue directives to the Samiti as to exercise and performance of its functions in matters involving the security of the State or substantial public interest and such other directives as it may consider necessary and expedient in regard to the finances and conduct of business and affairs of the Samiti and in like manner may vary and annul any such directive. The Samiti shall give immediate effect to the directive so issued by the State Government.

(ATUL CHATURVEDI)
Dy. Chairman

D.K.P. Sunali
S.D.M.

M.L. Sahi

17. The State Govt. may call for such returns, accounts and other information with respect to the assets, properties and activities of the Samiti as may be required from time to time. and the Samiti shall immediately furnish the same.

18. Bye laws

The Managing a committee may frame bye-laws not inconsistent with the Memorandum of Associations and these Rules. The Managing Committee may also amend. add to, alter, or delete any of such bye laws.

19. Amendment of Rules

These Rules may, with the previous written approval of the State Govt. be amended by the General body at its meeting called for the purpose and the agenda circulated for such meeting shall specifically mention the amendment proposed.

We the following members of the Governing body of the Samiti, do hereby certify that this is a true copy of the Rules of Association of the Samiti.

Sl No. Names and Address of Members	Sign. of Members.
1. ATUL CHATURVEDI	[signature]
2. R.K MEHROTRA, Distt-Sports officer Secretary cum Treasurer Z.K.D. Samiti	[signature]
3. S.K. VOHRA The Doon School Dehra Dun	SKVohra

Dated , 1984.